

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईत्दाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

बीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 587/2024  
वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

रोहित खुंगर पुत्र विजय कुमार जाति अरोड़ा निवासी दिल्ली कॉलोनी हनुमानगढ़ जं.

वादी

बनाम

- बलराज सिंह सिंह पुत्र भजन सिंह जाति जटसिख निवासी गहरी बुटर तह.व जिला बठिण्डा।
- तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 9.6.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बख्तजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी मिन जाकिन मुदई श्री ..... वकील प्रतिवादी संख्या ..... मिन मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

क. सं.	नाम काशतकार मय वल्दियत एवं सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
1	1 बलराज सिंह पुत्र भजन सिंह 0.8855 हि. जाति जट सिख निवासी भटिण्डा 2 रोहित खुंगर पुत्र विजय कुमार 0.8855 हि. जाति अरोड़ा निवासी दिल्ली कॉलोनी हनुमानगढ़ जं.	प.मं. मानकसर के चक 16 एमकेएस के खाता सं. 83/41 खाते का योग 1.771 हैव. (विवादित श्रेणी का नहीं है)	रोहित खुंगर पुत्र विजय कुमार 0.8855 हि. जाति अरोड़ा निवासी दिल्ली कॉलोनी हनुमानगढ़ जं. बलराज सिंह पुत्र भजन सिंह 0.8855 हि. जाति जट सिख निवासी भटिण्डा	प.न. 163/229 मु.न. 79 का कि.न. 4/0.200 मिन, 5/1/0.1795, प.न. 164/228 मु.न. 57 का कि.न. 14.15/0.506 कुल-0.8855 हेक्. प.न. 163/229 मु.न. 79 का कि.न. 4/0.053 मिन, 5/1/0.0435, 5/2/0.025 रास्ता, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 7.14/0.506 कुल-0.8855 हेक्.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशांषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/1706 दिनांक 19.05.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुख्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....को अदा करे।

वसूत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....9.6.2024.....को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया